पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

ललिता गर्ग[१] एवं कमल कुमार[२]

पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी प्रभाग, भाकृअनुप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली २४३१२२, उत्तर प्रदेश, भारत।

[२]विस्तार शिक्षा विभाग, भाकृअनुप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली २४३१२२, उत्तर प्रदेश, भारत।

ईमेल आईडी: poojagarg116@gmail-com

पृष्ठभूमि :

भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है, लेकिन मवेशियों की उत्पादकता कम है, और पशु रोग मुख्य समस्या हैं। बीमारियों के परिणामस्वरूप कुछ विदेशी बाजार भारतीय डेयरी और मांस उत्पादों के लिए बंद हो गए हैं और उद्योग को अपनी आय क्षमता प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुधन में ब्रूसेलोसिस और मुँह खुर की बीमारी (एफएमडी) के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) का शुभारंभ किया।

रोग :

मुँह–खुर

यह मवेशियों, सूअर, भेड़, बकरियों और अन्य खुर वाले जुगाली करने वालों का एक अत्यंत संचारी वायरल रोग है। एफएमडी आमतौर पर वयस्क जानवरों में घातक नहीं होता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप दूध का उत्पादन काफी कम हो जाता है, और इसलिए, डेयरी किसानों के लिए आर्थिक रूप से विनाशकारी हो सकता है। संक्रमित जानवरों को बुखार होता है, उनके मुंह में घाव हो जाते हैं, उनके स्तनों पर और उनके खुरों के बीच। एफएमडी उत्सर्जन और स्राव के माध्यम से फैलता हैय संक्रमित जानवर भी वायरस को बाहर निकालते हैं।

ब्रूसीलोसिसः

यह एक जूनोटिक संक्रमण है। यह जानवरों में त्वरित गर्भपात को प्रेरित करता है और जानवरों की आबादी में नए बछड़ों को जोड़ने को सीमित करता है।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) एफएमडी के लिए 100ः मवेशियों, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी और 4–8 महीने की उम्र के 100ः गोजातीय मादा बछड़ों का टीकाकरण करके पैर और मुंह की बीमारी और ब्रूसेलोसिस को नियंत्रित करने के लिए एक प्रमुख योजना है। ब्रूसेलोसिस पांच वर्षों (2019–20 से 2023–24) के लिए 13,343.00 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ।

एनएडीसीपी कार्यक्रम के उद्देश्य

- पैर और मुंह की बीमारी, और ब्रूसेलोसिस नाम की दो बीमारियों को कम करने के लिए देश में 600 मिलियन से अधिक मवेशियों का टीकाकरण करना।

- यह कार्यक्रम ब्रुसेलोसिस रोग के खिलाफ अपनी लड़ाई में सालाना 36 मिलियन मादा गोजातीय बछड़ों का टीकाकरण करने का भी प्रयास करता है।
- 2025 तक पशुधन रोगों को नियंत्रित करना और 2030 तक उनका उन्मूलन करना।
- कार्यक्रम के तहत जिन पशुओं को कवर किया जाएगा उनमें एफएमडी के खिलाफ मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर शामिल हैं।

लक्ष्य :

1. 2025 तक रोगों पर नियंत्रण।
2. 2030 तक उन्मूलन।

वित्त पोषण :

2024 तक 5 साल की अवधि के लिए 12,652 करोड़ रुपये की केंद्र सरकार की ओर से 100: वित्त पोषण।

कार्यक्रम के उद्देश्य :

एफएमडी और ब्रुसेलोसिस (एनएडीसीपी) के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य 2025 तक टीकाकरण और 2030 तक इसके अंतिम उन्मूलन के साथ एफएमडी को नियंत्रित करना है। एफएमडी और ब्रुसेलोसिस (एनएडीसीपी) के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जहां केंद्र सरकार द्वारा राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को 100% धनराशि प्रदान की जाएगी।

एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के लिए एनएडीसीपी के तहत प्रमुख गतिविधियां :

- गोजातीय, छोटे जुगाली करने वालों (भेड़ और बकरियों) और सूअरों की पूरी अतिसंवेदनशील आबादी को छह महीने के अंतराल पर टीकाकरण (एफएमडी के खिलाफ सामूहिक टीकाकरण)
- गोजातीय बछड़ों का प्राथमिक टीकाकरण (4–5 महीने की उम्र)
- टीकाकरण से एक महीने पहले कृमि मुक्त करना
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य के पदाधिकारियों के उन्मुखीकरण सहित राष्ट्रीय, राज्य, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर प्रचार और जन जागरूकता अभियान
- पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य (INAPH) के लिए सूचना नेटवर्क के पशु स्वास्थ्य मॉड्यूल में डेटा को ईयर–टैगिंग, पंजीकरण और डेटा अपलोड करके लक्षित जानवरों की पहचान
- पशु स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाए रखना
- जानवरों की आबादी की सीरोसर्विलांसध्सेरोमोनिटरिंग
- कोल्ड कैबिनेट्स (आइस लाइनर, रेफ्रिजरेटर, आदि) और एफएमडी वैक्सीन की खरीद
- प्रकोप के मामले में जांच और वायरस अलगाव और टाइपिंग
- अस्थायी क्वारंटाइनध्चेकपोस्टों के माध्यम से पशुओं की आवाजाही की रिकॉर्डिंगधविनियमन
- टीकाकरण से पहले और टीकाकरण के बाद के नमूनों का परीक्षण
- डेटा का सृजन और कार्यक्रम के प्रभाव के मूल्यांकन सहित नियमित निगरानी
- टीकाकरणकर्ता को पारिश्रमिक प्रदान करना जो प्रति टीकाकरण खुराक रु.3 से कम नहीं होना चाहिए और पशु डेटा प्रविष्टि सहित ईयर–टैगिंग के लिए प्रति पशु रु.2 से कम नहीं होना चाहिए।